63

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R-4372-III/13

674 19.11.13

1. [illegible] मिश्र तनय श्री काशी प्रसाद उम्र 70 साल
2. विद्या देवी पत्नी स्व0 सीता प्रसाद उम्र 58 साल,
3. राजकुमार तनय स्व0 सीता प्रसाद उम्र 35 साल
4. रमेश मिश्र तनय श्री काशी प्रसाद उम्र 52 साल,
5. रावेन्द्र प्रसाद मिश्र तनय स्व0 काशी प्रसाद उम्र 48 साल,
6. जगमोहन प्रसाद मिश्र तनय स्व0 चन्द्रिका राम उम्र 62 साल,
7. भोला प्रसाद तनय स्व0 चन्द्रिका राम उम्र 60 साल,

सभी निवासी ग्राम रामपुर पो0 मढ़ी कला, थाना व तहसील मनगवा, जिला रीवा म.प्र. --- निगरानी कर्ता गण

बनाम

शासन म.प्र. जरिये कलेक्टर रीवा जिला रीवा म.प्र. ---- अनावेदक/गैर निगरानी कर्ता

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्र0 44/अपील/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 10.10.13 के विरुद्ध निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.।

मान्यवर,

निगरानी के आधार

1. यह कि कलेक्टर रीवा द्वारा प्रकरण क्र0 76/अ-19/मूल/2012-13 मे पारित आदेश दिनांक 3.6.13 के विरुद्ध आवेदक गण की ओर से अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई थी। किन्तु उनके द्वारा अभि: ग्राहिता के बिन्दु पर ही अपील निरस्त करने हेतु जिस तरह के तर्क दिये गये है वे पूर्ण रूप से अवैधानिक है। और इस तरह से अपर आयुक्त का आदेश दि0 10.10.13 किसी भी तरह से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

2. यह कि इस निगरानी याचिका मे वर्णित किए जाने तथ्यो को ठीक ढंग से समझने के लिए पक्षकारो का आपसी तथा उनका उनके पूर्वजो से सम्बन्ध दर्शाने वाली वंशावली दिया जाना आवश्यक है। जो इस निगरानी के साथ अनु0 "अ" के रूप मे प्रस्तुत की जा रही है। वंशावली अनु0 "अ" इस निगरानी याचिका का एक अंग रहेगी।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 4372-तीन/13 जिला रीवा

राम लखन मिश्रा विरुद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.9.15	1- आवेदक तथा अभिभाषक की पुकार कराई गयी, किन्तु सूचना उपरांत आज उपस्थित नहीं है। 2- आवेदक अभिभाषक श्री अवधेश सिंह द्वारा दिनांक 20.8.15 को व्यक्त किया गया है कि अब इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते, अतएव प्रकरण नाट प्रेस में समाप्त किया जावे। अतः प्रकरण नाट प्रेस में समाप्त किया जाता है। 2. आदेश की प्रति के साथ अधी. न्याया. का अभिलेख वापस किया जावे। 3- प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	